न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 9 / 14 GCMS id : 2014 / 00108

1. कंचन बाई पत्नी स्व. मोडूलाल (मृतक का नाम डिलीट)
2–3. देवेन्द्र कुमार, कृष्ण मुरारी पुत्र स्व. कन्हैयालाल पौत्र स्व. मोडूलाल
4. रानीबाई पुत्री स्व. कन्हैयालाल पौत्री स्व. मोडूलाल
5. लाली बाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल पुत्रवधू स्व. मोडूलाल
6–8. सत्यप्रकाश, जगदीश प्रसाद, सत्यनारायण पुत्रान स्व. मोडूलाल
9. विमला बाई पुत्री स्व. मोडूलाल

जाति धाकड, निवासीगण वार्ड नम्बर–10ख न्यू कोलोनी, नहर के पास, ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1–2. रामप्रसाद, सुरेन्द्र पुत्र स्व. बाबूलाल
जाति धाकड, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. ममता कुमारी पुत्र स्व. बाबूलाल पत्नी महेश कुमार, जाति धाकड, निवासी ग्राम बडगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. पुष्पा बाई पत्नी स्व. बाबूलाल, जाति धाकड, निवासिनी ग्राम कैथून, तह. लाडपुरा, कोटा
5. रामस्वरूप पुत्र स्व. माधोलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम कैथून, कोटा
6. लाडबाई पुत्री स्व. माधोलाल, जाति धाकड, निवासिनी मकान नम्बर 160–161, राजपूत कोलोनी, केशवपुरा, कोटा
7–8. रामकुंवार, दीनदयाल पुत्रान स्व. गोपीलाल, जाति धाकड, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
9. शान्तिबाई पुत्री स्व. गोपीलाल पत्नी कालूलाल, जाति धाकड, निवासी पीसाहेडा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
10. मंन्जूबाई पुत्री स्व. गोपीलाल पत्नी ओमप्रकाश, जाति धाकड, निवासी मकान नम्बर 33–34, कुन्हाडी थाने के सामने, सुभाष नगर, कोटा
11. हेमकान्ता पुत्री स्व. गोपीलाल पत्नी योगेश, जाति धाकड, निवासिनी मकान नम्बर 42, गायत्री कृन्ज, एक मीनार मस्जिउ के पास, छावनी, कोटा
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राज0टी0ए0

उपस्थिति : श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक वादीगण
श्री नरेन्द्र गुप्ता, प्रतिवादी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30.08.2024

1- वादीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत विवादित आराजी पर खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया।

2- वादीगण की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –

ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1477/268, 224/1353, 224 व 269 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा पक्षकारान के पिता व दादा स्व. गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है।

~ दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त चारों खसरा नम्बरान का नया खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर कायम किया गया जबकि गत रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार रकबा 3.60 हैक्टर बनता है। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग ने गत रकबे के मुकाबले 0.40 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया है।

~ सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त आराजी माधो, मोडू व गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी किन्तु सेटलमेन्ट उपरान्त उक्त 3.20 हैक्टर रकबा माधो पुत्र हीरालाल के ही खाते दर्ज किया गया तथा शेष दो सहखातेदार मोडूलाल व गोपीलाल का नाम हटा दिया।

~ सेटलमेन्ट को नाम हटाने व रकबा कम किये जाने का कोई अधिकार नहीं था जो कि प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने के कारण वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी

है। ग्राम भीमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.91 में 1/3, 1/3 हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी है।

~ विवादित आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है जिसमें माधोलाल, मोडूलाल व गोपीलाल प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित था। इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है।

~ फलस्वरूप स्व. मोडूलाल के वारिसान वादीगण, स्व. गोपीलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 11 का भी 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है तथा स्व. माधोलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 का 1/3 ही हिस्सा है।

~ उक्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादीगण ग्राम कैथन की उक्त आराजी व भीमपुरा की आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपना 1/3 हिस्सा पृथक खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है।

~ वादीगण का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा ही निहित है किन्तु रिकार्ड में केवल स्व. माधोलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6, अपना नाम दर्ज होने के आधार पर आराजी को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करने का प्रयास कर रहे है, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोकने के भी अधिकारी है।

~ प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 से रिकार्ड में गलत इन्द्राज की दुरूस्ती कराने हेतु कहा तो वे टालटूल करते रहे और दिनांक 30.12.2013 को उन्होने इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा कराने से स्पष्ट इन्कार करते हुये शीघ्र ही ही आराजी, किसी अन्य को बेचान करने की धमकी दी।

~ पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक सहभागी भूमि के प्रत्येक इंच का हकदार व कब्जेदार माना गया है। इस आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 को उक्त पुश्तैनी भूमि उसके भाग को बिना इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा कराये खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है।

~ प्रस्तुत वाद का वाद कारण वादीगण पुश्तैनी भूमि के 1/3 हिस्से के हकदार होने और दौराने सेटलमेन्ट वादीगण व पति व पिता मोडूलाल तथा सहभागीदार गोपीलाल का नाम रिकार्ड से हटा देने और तदुपरान्त वादीगण के अनेक बार निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादी 1 लगात 6 द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा नहीं कराने व दिनांक 30.12.2013 को स्पष्ट इन्कार करते हुये शीघ्र भूमि को खुर्द बुर्द कर देने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्यायक्षेत्र में उत्पन्न हुआ है।

~ अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम कैथून के गत खसरा नम्बर 1477/268, 224/1353, 224, 269 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के सेटलमेन्ट उपरान्त कायम नवीन वर्तमान खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर को गत रकबा के की गणनुसार 3.60 हैक्टर दर्ज किया जावे। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 लगात 6 का 1/3 हिस्से, प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 11 का 1/3 हिस्से तथा वादीगण का 1/3 हिस्से का खोतेदार घोषित किया जावे। विवादित आरजी में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य, अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आरजी के आधार पर, विधिवत विभाजन किया जावे। वादीगण का 1/3 हिस्से का पृथक खाता कायम किया जावे। साथ ही प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विवादित आराजी के किसी भी भाग को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित नहीं करे और न वादीगण को उनके 1/3 हिस्से से वंचित करे। वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत व मदालखत नहीं करें।

~ वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में वादपत्र के साथ, विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श–1 : ग्राम भीमपुरा की नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072
प्रदर्श–2 : ग्राम कैथून की नकल जमाबन्दी संवत 2069–2072
प्रदर्श–3 : ग्राम कैथून की नकल जमाबन्दी संवत 2038–57
प्रदर्श–4 : ग्राम कैथून का नकल मिलान क्षैत्रफल 2038–57
प्रदर्श–5 : ग्राम कैथून की नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038
प्रदर्श–6 : ग्राम कैथून की नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038

3-A प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 की ओर से पेश जवाब दावा में वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि –

≈ दौराने सेटलमेन्ट कायम किये गये, ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर कायम किया गया है जो गत रकबे के मुकाबले 0.40 हैक्टर कम है जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

≈ स्व. माधोलाल के भाई, स्व. मोडूलाल व स्व. गोपीलाल का विवादित आराजी में कोई हक

व अधिकार नहीं था। माधो आत्मज हीरा, जाति धाकड के खाते खसरा नम्बर 542 की भूमि सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

≈ वादीगण ग्राम भीमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.81 हैक्टर का बंटवारा कराने के भी अधिकारी नहीं है।

≈ स्व. माधोलाल के भाई, स्व. मोडूलाल के वारिसान का 1/3, 1/3 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है।

≈ उपरोक्त भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं थी। वादीगण का उपरोक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 ही उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट निरन्तर काबिज चले आ रहे है।

≈ प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 को अपने खाते व कब्जे की भूमि को हस्तान्तरित करने का विधिक अधिकार है।

≈ वादीगण द्वारा आराजी के विभाजन सम्बन्धी कभी कोई बात नहीं की गई और प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 ने वादीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी है। वादीगण को दावा प्रस्तुत करने के लिये कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। उक्त वाद अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है।

≈ ग्राम कैथून की आराजी के अलावा ग्राम भीमपुरा में खसरा नम्बर 32 की 0.81 हैक्टर आराजी स्थित है जो शामलाती खाते में दर्ज थी।

≈ ग्राम कैथून व ग्राम भीमपुरा की आराजीयात के अतिरिक्त स्व. माधोलाल, स्व. गोपीलाल, स्व. मोडूलाल की संयुक्त अचल सम्पत्ति मकानात व दुकानें थी। इनका सभी ने स्वैच्छा व आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन कर लिया था तथा विभाजन में प्राप्त अनुसार दोनों ग्रामों की कृषि आराजी पर स्व. माधोलाल तथा कैथून स्थित दो मकानों व 4 दुकानों पर स्व. गोपीलाल व स्व. मोडूलाल के काबिज हो गये। इनके स्वर्गवास उपरान्त इनके वारिसान काबिज है। प्रतिवादी द्वारा स्वयं के खर्चे पर ट्यूबवेल लगवाया व सीमेन्ट के पोल लगवाकर तारबन्दी की।

≈ ग्राम भीमपुरा की आराजी स्व. माधोलाल के तन्हा खाते दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नोटरी से प्रमाणित सहमति पत्र तैयार किया गया था। उक्त सहमति पत्र के आधार पर ही आराजी को स्व. माधोलाल के खाते दर्ज किया गया था। किन्तु सहवन से तीनों का नाम लिखकर 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया।

≈ ग्राम भीमपुरा की आराजी के सम्बन्ध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा में पहले से ही चल रहा है। दोनों दावों में पक्षकार समान है तथा वाद विषयक सम्पत्ति एक ही है जबकि यह एक पश्चातवर्ती वाद है जो धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों से स्थगित होने योग्य है।

≈ मुताबिक पारिवारिक विभाजन कैथून की भूमि स्व. माधोलाल के तनहा खाते आपसी सहमति से दर्ज की गई थी।

≈ वादीगण का वादस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। कब्जा प्राप्ति का अनुतोष चाहे बिना दावा पोषणीय नहीं है तथा वादीगण द्वारा कब्जा प्राप्त वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। वादीगण के हक हकूक समाप्त हो चुके है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह दावा अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है।

≈ अतः निवेदन है कि दावा वादीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

≈ प्रतिवादी 1 ता 6 द्वारा अपने कथन के समर्थन में जवाब दावा के साथ, विवादित आराजी से सम्बन्धित निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

प्रदर्श-A1 : नकल दावा प्रति, पेज 1लगायत 12, न्यायालय S.D.O., Kota
प्रदर्श-A2 : नकल जवाब दावा प्रति, पेज 1लगायत 11, न्यायालय S.D.O., Kota
प्रदर्श-A3 : नकल निर्णय दिनांक 08.09.2017, न्यायालय R.A.A., Kota
प्रदर्श-A4 : नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076, ग्राम कैथून
प्रदर्श-A5 : नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076, ग्राम भीमपुरा
प्रदर्श-A6 : नकल जमाबन्दी संवत 2034
प्रदर्श-A7 : नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057, ग्राम कैथून
प्रदर्श-A8 : नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057, ग्राम कैथून
प्रदर्श-A9 : नकल आदेशिका dt. 29-01-2018 तक, न्यायालय SDO, Kota, Case No-375/05
प्रदर्श-A10 : नकल सरवर्क मिसल, ग्राम भीमपुरा, उनवान मोडू बनाम हीरा
प्रदर्श-A11 : नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.1984, द्वारा मोडूलाल, गोपीलाल

ACM(HQ) Kota

प्रदर्श-A12 : नकल आदेशिका 3.1.85, प्र0 सं0 97/85, ग्राम भीमपुरा, ख0सं0 32/0.89 है.
प्रदर्श-A13 : नकल सहमति पत्र, द्वारा मोडूलाल, गोपीलाल
प्रदर्श-A14 : पर्चा लगान जिस पर मोडूलाल, गोपीलाल का नाम खारिज का नोट अंकित

3-B प्रतिवादी क्रम–7 लगायत 11 की ओर से पेश जवाब दावा में वादपत्र के कथनों के समर्थन में निवेदन किया गया कि –

≈ सेटलमेन्ट के पूर्व खसरा नम्बर 1477/268, 224/1353, 224, 269 की 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि मोडूलाल, गोपीलाल व माधोलाल की सुयंक्त खातेदारी में दर्ज थी।

≈ सेटलमेन्ट उपरान्त उक्त आराजी केवल माधोलाल के खाते दर्ज करते हुये इनके नये खसरा नम्बर 542 का रकबा 0.40 हैक्टर कम कर 3.20 हैक्टर ही दर्ज किया गया। इसमें पूर्वानुसार ही अन्य सहखातेदार मोडूलाल व गोपीलाल का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिये था।

≈ विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 11 का भी 1/3 हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 को आराजी खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

≈ अतः निवेदन है कि ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 में कम हुये रकबे 0.40 हैक्टर की की पूर्ति करते हुये 3.60 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 11 को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुये 1/3 हिस्सा पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश व डिक्री पारित की जावे।

4- पत्रावली के अवलोकनानुसार, वादपत्र एवं जवाब दावा के कथनों तथा उपलब्ध दस्तावेजात के तुलनात्मक अध्ययन उपरान्त प्रकरण के विवादित बिन्दुओं के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये :–

(1) आया विवादित आराजी सेटलमेन्ट पूर्व मोडूलाल, माधोलाल व गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। (वादी)
(2) आया विवादित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। (वादी)
(3) आया वादीगण, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। (वादी)
(4) आया विवादित आराजी पारिवारिक विभाजन में माधोलाल को प्राप्त हुई थी। (प्रतिवादी)
(5) अनुतोष ?

5- *प्रकरण पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई –*

ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1477/268, 224/1353, 224 व 269 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा पक्षकारान के पिता व दादा स्व. गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है। दौराने सेटलमेन्ट उपरोक्त चारों खसरा नम्बरान का नया खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर कायम किया गया जबकि गत रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार रकबा 3.60 हैक्टर बनता है। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग ने गत रकबे के मुकाबले 0.40 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया है। सेटलमेन्ट के पूर्व उक्त आराजी माधो, मोडू व गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी किन्तु सेटलमेन्ट उपरान्त उक्त 3.20 हैक्टर रकबा माधो पुत्र हीरालाल के ही खाते दर्ज किया गया तथा शेष दो सहखातेदार मोडूलाल व गोपीलाल का नाम हटा दिया। सेटलमेन्ट को नाम हटाने व रकबा कम किये जाने का कोई अधिकार नहीं था जो कि प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने के कारण वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है। ग्राम भीमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.91 में 1/3, 1/3 हिस्से का बंटवारा कराने के अधिकारी है। विवादित आराजी पक्षकारान की पैतृक आराजी है जिसमें माधोलाल, मोडूलाल व गोपीलाल प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित था। इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। फलस्वरूप स्व. मोडूलाल के वारिसान वादीगण, स्व. गोपीलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 11 का भी 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है तथा स्व. माधोलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 का 1/3 ही हिस्सा है। उक्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादीगण ग्राम कैथन की उक्त आराजी व भीमपुरा की आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर अपना 1/3 हिस्सा पृथक खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा ही निहित है किन्तु रिकार्ड में केवल स्व. माधोलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6, अपना नाम दर्ज होने के आधार पर आराजी को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित करने का प्रयास कर रहे है, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोकने के भी अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 से रिकार्ड में गलत इन्द्राज की दुरूस्ती कराने हेतु कहा तो वे टालटूल करते रहे और दिनांक 30.12.2013 को उन्होने इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा कराने से स्पष्ट इन्कार करते हुये शीघ्र ही ही आराजी, किसी अन्य को बेचान करने की धमकी दी। पुश्तैनी भूमि में प्रत्येक सहभागी

भूमि के प्रत्येक इंच का हकदार व कब्जेदार माना गया है। इस आधार पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 को उक्त पुश्तैनी भूमि उसके भाग को बिना इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा कराये खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये वादीगण को यह वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत वाद का वाद कारण वादीगण पुश्तनी भूमि के 1/3 हिस्से के हकदार होने और दौराने सेटलमेन्ट वादीगण व पति व पिता मोडूलाल तथा सहभागीदार गोपीलाल का नाम रिकार्ड से हटा देने और तदुपरान्त वादीगण के अनेक बार निवेदन करने के बावजूद प्रतिवादी 1 लगात 6 द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा नहीं कराने व दिनांक 30.12.2013 को स्पष्ट इन्कार करते हुये शीघ्र भूमि को खुर्द बुर्द कर देने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्यायक्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम कैथून के गत खसरा नम्बर 1477/268, 224/1353, 224, 269 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के सेटलमेन्ट उपरान्त कायम नवीन वर्तमान खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर को गत रकबा के की गणनुसार 3.60 हैक्टर दर्ज किया जावे। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 लगात 6 का 1/3 हिस्से, प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 11 का 1/3 हिस्से तथा वादीगण का 1/3 हिस्से का खोतेदार घोषित किया जावे। विवादित आरजी में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य, अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आरी के आधार पर, विधिवत विभाजन किया जावे। वादीगण का 1/3 हिस्से का पृथक खाता कायम किया जावे। साथ ही प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विवादित आराजी के किसी भी भाग को खुर्द बुर्द व हस्तान्तरित नहीं करे और न वादीगण को उनके 1/3 हिस्से से वंचित करे। वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत व मदालखत नहीं करें। दौराने बहस वादी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये –

(i) RRT 2002(1), Page 302-305.
(ii) RRT 2016(1), Page 371-374
(iii) RRT 2016-17 (Supp.), Page 540-546.
(iv) RRT 2019(1), Page 84-89.
(v) RRT 2013(1), Page 226-233.
(vi) RRT 2013(1), Page 513-515.
(vii) RRT RRT 2011(1), Page 575-581.
(viii) RRT 2020(1), Page 37-40.

प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दौराने सेटलमेन्ट ग्राम कैथून के खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर कायम किया गया है जो गत रकबे के मुकाबले 0.40 हैक्टर कम है जिसकी दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। स्व. माधोलाल के भाई, स्व. मोडूलाल व स्व. गोपीलाल का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं था। माधो आत्मज हीरा, जाति धाकड के खाते खसरा नम्बर 542 की भूमि सही रूप से नियमानुसार दर्ज की गई है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। वादीगण ग्राम भीमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.81 हैक्टर का बंटवारा कराने के भी अधिकारी नहीं है। स्व. माधोलाल के भाई, स्व. मोडूलाल के वारिसान का 1/3, 1/3 हिस्सा होना स्वीकार नहीं है। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं थी। वादीगण का उपरोक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है। वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 ही उपरोक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट निरन्तर काबिज चले आ रहे है। वादीगण द्वारा आराजी के विभाजन सम्बन्धी कभी कोई बात नहीं की गई और प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 ने वादीगण को कभी कोई धमकी नहीं दी है। वादीगण को दावा प्रस्तुत करने के लिये कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। उक्त वाद अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम कैथून व ग्राम भीमपुरा की आराजीयात के अतिरिक्त स्व. माधोलाल, स्व. गोपीलाल, स्व. मोडूलाल की संयुक्त अचल सम्पत्ति मकानात व दुकानें थी। इनका सभी ने स्वैच्छा व आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन कर लिया था तथा विभाजन में प्राप्त अनुसार दोनों ग्रामों की कृषि आराजी पर स्व. माधोलाल तथा कैथून स्थित दो मकानों व 4 दुकानों पर स्व. गोपीलाल व स्व. मोडूलाल के काबिज हो गये। इनके स्वर्गवास उपरान्त इनके वारिसान काबिज है। प्रतिवादी द्वारा स्वयं के खर्चे पर ट्यूबवेल लगवाया व सीमेन्ट के पोल लगवाकर तारबन्दी की। मुताबिक पारिवारिक विभाजन कैथून की भूमि स्व. माधोलाल के तनहा खाते आपसी सहमति से दर्ज की गई थी। वादीगण का वादरत भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। कब्जा प्राप्ति का अनुतोष चाहे बिना दावा पोषणीय नहीं है तथा वादीगण द्वारा कब्जा प्राप्त वापस प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है। वादीगण के हक हकूक समाप्त हो चुके है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह दावा अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे। दौराने बहस प्रतिवादी क्रम–1

लगायत 6 के अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये –

(i) DNJ (SC) 2002, Page 168-172.

(ii) RRT 2019(2), Page 1354-1388.

6- प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(1) *आया विवादित आराजी सेटलमेन्ट पूर्व मोडूलाल, माधोलाल व गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- कथन के समर्थन में वादी की ओर से ग्राम कैथून की दो नकल जमाबन्दियाँ संवत 2035–2038 पेश की गई है।
- इनमें जमाबन्दी (प्रदर्श–5) के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 269 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा – माधो, मोडू, गोपीलाल, मोडूलाल पिसरान हीरालाल, जाति धाकड, समभाग दर्ज है एवं
- जमाबन्दी (प्रदर्श–6) के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1407/268 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 224/1353 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा – माधोलाल, गोपीलाल, मोडूलाल पिसरान हीरालाल, कौम धाकड, हिस्सा बराबर दर्ज है।
- उपरोक्त दोनों जमाबन्दियों प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6 के अवलोकनानुसार स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट पूर्व संवत 2035–2038 में विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर मोडूलाल, माधोलाल व गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थे।
- इस प्रकार वादी के कथन की पुष्टि होने से यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

(2) *आया विवादित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- वादी द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में ग्राम कैथून की नकल जमाबन्दी संवत 2035–2038 (प्रदर्श–5 व प्रदर्श–6) पेश की गई है।
- उक्त जमाबन्दियों में विवादित आराजी मोडूलाल, माधोलाल व गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है, जिसके अनुसार उक्त तीनों सहखातेदारों के वारिसान का इनसे बने नये खसरा नम्बरान में 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण विवादित आराजी के सहखातेदार मोडूलाल के वारिसान है, जिससे विवादित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है।
- इस प्रकार मुताबिक राजस्व अभिलेख विवादित आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित होने से यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(3) *आया वादीगण, प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।
- मुताबिक प्रदर्श 5 व 6, सेटलमेन्ट से पूर्व संवत 2035–2038 में विवादित आराजी प्रकरण के पक्षकारान के पूर्वज मोडूलाल, माधोलाल व गोपीलाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी।
- सेटलमेन्ट उपरान्त वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजी माधोलाल के वारिसान (प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6) के खाते दर्ज है।
- इस प्रकरण अन्य सहखातेदार मोडूलाल व गोपीलाल के वारिसान को उक्त आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण इनके वारिसान अपने पूर्वजों के खाते दर्ज आराजी का उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है।
- विवादित आराजी वर्तमान में केवल प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के खाते दर्ज होने के कारण उक्त आराजी का दुरूपयोग होने तथा खुर्द बुर्द होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये वादीगण को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।
- सेटलमेन्ट से पूर्व पक्षकारान के पूर्वजों (माधोलाल, मोडूलाल व गोपीलाल) की संयुक्त खातेदारी में दर्ज आराजी का सेटलमेन्ट के बाद, केवल माधोलाल के वारिसान की खातेदारी में अंकन हो जाने से विवादित आराजी के खुर्द बुर्द होने की

संभावना व वादीगण को संभावित अपूरणीय क्षति के आधार पर यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(4) *आया विवादित आराजी पारिवारिक विभाजन में माधोलाल को प्राप्त हुई थी।*

- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी क्रम–1 ता 6 पर था।
- प्रतिवादी की ओर से पेश जवाब दावा की विशेष आपत्तियों के मद संख्या 7 में उल्लेखित किया है कि "हीरालाल जी के स्वर्गवास के बाद उनके तीनों पुत्रों ने दोनों गावों की कृषि आराजीयात, दुकानात एवं मकानात का स्वेच्छा से एवं आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन कर लिया था। विभाजन में प्राप्त सम्पत्ति पर मुताबिक विभाजन तन्हा रूप से बहैसियत मालिक काबिज हो गये थे।
- माधोलाल का स्वर्गवास हो जाने से उनके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 उनके विभाजन में प्राप्त सम्पत्ति ग्राम कैथून एवं ग्राम भीमपुरा की कृषि आराजी पर तन्हा रूप से निरन्तर काबिज चले आ रहे है एवं वर्तमान में भी काबिज है।
- मोडूलाल जी एवं गोपीलाल जी उन्हें विभाजन में प्राप्त दो मकानों एवं चार दुकानों पर काबिज हो गये थे। इनके स्वर्गवास के बाद इनके वारिसान विभाजन में प्राप्त उक्त दो मकानात व चार दुकानों पर काबिज है।
- प्रतिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर का, भू प्रबन्ध विभाग का प्रपत्र संवत 2034 (प्रदर्श–ए 6) पेश किया गया है जिसके कॉलम संख्या 22 में गत भू–माप के अनुसार नाम कृषक माधो, मोडू, गोपीलाल पिसरान हीरालाल अंकित है तथा इसी प्रपत्र के कॉलम संख्या 23 में वर्तमान नाम कृषक माधो पिसरान हीरालाल रखा गया है तथा मोडू व गोपीलाल के नाम पर गोला अंकित करते हुये कॉलम संख्या 25 में श्रीमान ASO साहब के आदेशानुसार का नोट लिखा हुआ है।
- जवाब दावे में अंकन के अतिरिक्त प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे पारिवारिक विभाजन होने के कथन की पुष्टि होती हो।
- प्रतिवांदी की ओर से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को लिखे प्रार्थना पत्र (प्रदर्श–ए. 11), सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की आदेशिका दिनांक 03.01.85 (प्रदर्श–ए.12), मोडूलाल, गोपीलाल द्वारा माधोलाल के पक्ष में लिखा गया नोटरी से प्रमाणित सहमति पत्र दिनांक 18.12.1984 (प्रदर्श–ए.13), भू.प्रबन्ध विभाग का पर्चा लगान (प्रदर्श–ए.14) पेश किया गया है जो ग्राम भीमपुरा की आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.81 से सम्बन्धित है।
- इस प्रकार पारिवारिक विभाजन सम्बन्धी किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह तनकी प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के विरूद्ध तय की जाती है।

(5) *अनुतोष ?* : प्रस्तुत प्रकरण में –

- वादीगण द्वारा वाद पेश कर ग्राम कैथून के गत खसरा नम्बर 1477/268, 224/1353, 224, 269 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के सेटलमेन्ट उपरान्त कायम नवीन वर्तमान खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर को गत रकबा की गणनुसार 3. 60 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 542 में प्रतिवादी क्रम–1 लगात 6 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 11 को 1/3 हिस्से का तथा वादीगण को 1/3 हिस्से का खोतेदार घोषित किया जाकर विभाजन किये जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।
- प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 की ओर से वादपत्रानुसार विवादित आराजी के रकबे में हुई कमी की पूर्ति किये जाने तथा विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 व इनके पूर्व माधोलाल के खाते दर्ज होने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।
- प्रतिवादी क्रम–7 लगायत 11 द्वारा, वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष के समान ही विवादित आराजी के रकबा की कमी पूर्ति किये जाने तथा विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तथा विभाजन किया जाकर अलग अलग खाते दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

7- प्रस्तुत प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात व पेश किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन तथा तनकीयात के उपरोक्तानुसार किये गये विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि –

☞ ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1477/268,

ACM(HQ) Kota

224/1353, 224 व 269 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा पक्षकारान के पिता व दादा की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजी, (सेटलमेन्ट पूर्व संवत 2035–2038 में) माधो, मोड़ू, गोपीलाल पिसरान हीरालाल के खाते दर्ज थी।

☞ दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 542 रकबा 3.32 हैक्टर कायम किये गये। वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी के सेटलमेन्ट पूर्व दर्ज रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के अनुसार वर्तमान रकबा 3.60 हैक्टर दर्ज होना चाहिये। प्रकरण में वादीगण के समान ही प्रतिवादी पक्षकारान द्वारा भी विवादित आराजी के गत रकबे के मुकाबले कम रकबा दर्ज होने के कारण रकबे की कमी पूर्ति का अनुतोष चाहा गया है। वादी अथवा प्रतिवादी, दोनों में से किसी भी पक्ष द्वारा रकबे की उक्त कमी के कारण को, किसी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया गया है।

☞ वादपत्र में उल्लेखितानुसार विवादित आराजी सेटलमेन्ट पूर्व माधो, मोड़ू, गोपीलाल पिसरान हीरालाल के खाते दर्ज थी तथा दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी केवल माधो पुत्र हीरालाल के खाते दर्ज कर दी गई जिसे दुरूस्त किया जाकर तीनों खातेदारान के वारिसान के खाते 1/3, 1/3 दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

☞ वादीगण की ओर से चाहे गये अनुतोष के व्युत्क्रम में प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 की ओर से कथन किया गया कि खातेदारान के मध्य पूर्व में ही पारिवारिक विभाजन हो गया था, जिसमें सम्पूर्ण सम्पत्ति में से ग्राम कैथून व भीमपुरा की विवादित आराजी माधोलाल के खाते दर्ज किये जाने तथा मकान व दुकाने मोड़ूलाल व गोपीलाल को दिये जाने की सहमति के आधार पर ही सेटलमेन्ट अवधि संवत 2038–2057 में उक्त आराजी माधोलाल के खाते दर्ज की गई।

☞ अपने इन कथनों के समर्थन में प्रतिवादीगण द्वारा मोड़ूलाल, गोपीलाल आत्मज हीरालाल की ओर से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा को लिखे गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.1984 (प्रदर्श ए–11), भू प्रबन्ध विभाग के प्रकरण संख्या 97/85 की आदेशिका दिनांक 03.01.1985 (प्रदर्श ए–12), मोड़ूलाल, गोपीलाल आत्मज हीरालाल की ओर से लिखा गया नोटरी से तस्दीकशुदा सहमति पत्र दिनांक 18.02.1984 (प्रदर्श ए–13), भू प्रबन्ध विभाग का नकल पर्चा लगान (प्रदर्श ए–14) पेश किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेज ग्राम भीमपुरा, पटवार हल्का धाकडखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी से सम्बन्धित है जबकि प्रस्तुत प्रकरण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी से सम्बन्धित है।

☞ इस प्रकार प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 की ओर से पेश दस्तावेजात से ग्राम कैथून की आराजी को केवल माधोलाल के नाम दर्ज किये जाने की सहमति नहीं दिये जाने के कारण तथा प्रकरण में कायम तनकी क्रम–1 लगायत 3 वादीगण के पक्ष में तय होने व तनकी क्रम–4 प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के विरूद्ध तय होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर के 1/3 हिस्से का वादीगण को, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 को तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी क्रम–7 लगायत 11 को खातेदार घोषित किया जाकर इनके पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 30.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/8/24

(श्रीमती सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर कोटा
(मुख्यालय), कोटा

प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

वउनवान :–

1. कंचन बाई पत्नी स्व. मोडूलाल (मृतक का नाम डिलीट)
2–3. देवेन्द्र कुमार, कृष्ण मुरारी पुत्र स्व. कन्हैयालाल पौत्र स्व. मोडूलाल
4. रानीबाई पुत्री स्व. कन्हैयालाल पौत्री स्व. मोडूलाल
5. लाली बाई पत्नी स्व. कन्हैयालाल पुत्रवधू स्व. मोडूलाल
6–8. सत्यप्रकाश, जगदीश प्रसाद, सत्यनारायण पुत्रान स्व. मोडूलाल
9. विमला बाई पुत्री स्व. मोडूलाल
जाति धाकड, निवासीगण वार्ड नम्बर–10, न्यू कोलोनी, नहर के पास, ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

वनाम

1–2. रामप्रसाद, सुरेन्द्र पुत्र स्व. बाबूलाल
जाति धाकड, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. ममता कुमारी पुत्र स्व. बाबूलाल पत्नी महेश कुमार, जाति धाकड, निवासी ग्राम बडगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. पुष्पा बाई पत्नी स्व. बाबूलाल, जाति धाकड, निवासिनी ग्राम कैथून, तह. लाडपुरा, कोटा
5. रामस्वरूप पुत्र स्व. माधोलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम कैथून, कोटा
6. लाडबाई पुत्री स्व. माधोलाल, जाति धाकड, निवासिनी मकान नम्बर 160–161, राजपूत कोलोनी, केशवपुरा, कोटा
7–8. रामकुंवार, दीनदयाल पुत्रान स्व. गोपीलाल, जाति धाकड, निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
9. शान्तिबाई पुत्री स्व. गोपीलाल पत्नी कंवरलाल, जाति धाकड, निवासी पीसाहेडा, तहसील सांगोद, जिला कोटा
10. मन्जूबाई पुत्री स्व. गोपीलाल पत्नी ओमप्रकाश, जाति धाकड, निवासी मकान नम्बर 33–34, कुन्हाडी थाने के सामने, सुभाष नगर, कोटा
11. हेमकान्ता पुत्री स्व. गोपीलाल पत्नी योगेश, जाति धाकड, निवासिनी मकान नम्बर 42, गायत्री कुन्ज, एक मीनार मस्जिद के पास, छावनी, कोटा
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा – (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : **88, 89, 53, 188 RTA**
मुकदमा नम्बर : **9 / 14**
निर्णय दिनांक : **30-08-2024**

GCMS id : 2014 / 00108

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री रामकिशन वर्मा व प्रतिवादी अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता की उपस्थिति में वादपत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 30–08–2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती सपना कुमारी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 की ओर से पेश दस्तावेजात से ग्राम कैथून की आराजी को केवल माधोलाल के नाम दर्ज किये जाने की सहमति नहीं दिये जाने के कारण तथा प्रकरण में कायम तनकी क्रम–1 लगायत 3 वादीगण के पक्ष में तय होने व तनकी क्रम–4 प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 के विरूद्ध तय होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 542 रकबा 3.20 हैक्टर के 1/3 हिस्से का वादीगण को, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी क्रम–1 लगायत 6 को तथा 1/3 हिस्से का प्रतिवादी क्रम–7 लगायत 11 को खातेदार घोषित किया जाकर इनके पृथक पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करवाई जाकर आज तारीख 30 अगस्त, 2024 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

30/8/24
सहायक कलक्टर
(श्रीमती सपना कुमारी)
(मुख्यालय) कोटा
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा